


उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर  
// आदेश //

क्रमांक A/3381 /

जबलपुर, दिनांक .....30/08/2022

श्री अमित झा आत्मज श्री नर्बद झा को उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, खंडपीठ इंदौर की स्थापना पर माननीय न्यायाधिपति श्री सुबोध अभ्यंकर महोदय के च्वाईस कोटे के अंतर्गत माननीय न्यायाधिपति महोदय के कार्यकाल अवधि तक के लिये (Co-terminus basis) जिलाध्यक्ष इंदौर द्वारा निर्धारित दर पर आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के पद पर दिनांक 26.07.2022 से नियुक्त किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय  
के आदेशानुसार

  
(रामकुमार चौबे)

रजिस्ट्रार जनरल

पृ.क्र. A/3382 /


जबलपुर, दिनांक .....30/08/2022

प्रतिलिपि:-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर, इंदौर(म.प्र.) की ओर ज्ञापन क्रमांक प्रशा./03-ए/2214 इंदौर, दिनांक 01.08.2022 के तारतम्य में,
2. रजिस्ट्रार (प्रशा.)/ई., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, इंदौर,
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी(लेखा), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
5. डिप्टी कन्ट्रोलर एकाउन्ट्स, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
6. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. असिस्टेंट रजिस्ट्रार स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्या.) स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. सहायक स्थापना/सेवा पुस्तिका/लेखा/वेतन पत्रक/वेतन निर्धारण/बजट/पेंशन/डी. पी.एफ./प्रोटोकॉल ऑफिसर, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,

10. श्री अमित झा आत्मज श्री नर्बद झा, ग्राम जामुनधाना खुर्द, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश, पिन कोड-284403 की ओर इस निर्देश के साथ कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित दैनिक वेतन भोगी की नियमित भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने एवं चयनित होने के उपरांत 03 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर ही उनके नियमितिकरण पर विचार किया जावेगा, अन्यथा नियमित भर्ती प्रक्रिया में चयनित न होने पर उनकी सेवायें माननीय न्यायाधिपति महोदय के कार्यकाल उपरांत स्वमेव समाप्त मानी जावेंगी,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
(विकास चन्द्र मिश्रा)  
रजिस्ट्रार (प्रशासन)  
Pir